तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	काश्तकार व रेकर्ड खातेदार के विरुद्ध [illegible] जारी रहकर उक्त न्यायालय प्रति न [illegible] हो। अतः इस न्यायालय द्वारा अपील अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 2/7/20 निरस्त की जाकर [illegible] धारा 212 खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुढ़ामालानी

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलक्टर (S.D.O.) महोदय,

गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

प्रार्थी :–

1. हराराम पुत्र लिछमणाराम उम्र 86 वर्ष जाति विश्नोई निवासी अरटवाव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. प्रहलादराम पुत्र कोजाराम उम्र 65 वर्ष
2. चूनाराम पुत्र कोजाराम उम्र 62 वर्ष
3. किसनाराम पुत्र कोजाराम उम्र 60 वर्ष
4. सूजाराम पुत्र कोजाराम उम्र 55 वर्ष जाति विश्नोई निवासी हाल साकड़ तहसील साचौंर जिला जालोर।
5. भीयाराम पुत्र काछबाराम उम्र 65 वर्ष जाति विश्नोई निवासी अरटवाव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
6. आदूराम पुत्र छोगाराम उम्र 35 वर्ष
7. हापूराम पुत्र छोगाराम उम्र 33 वर्ष
8. खीवणी पत्नी छोगाराम उम्र 55 वर्ष जाति विश्नोई निवासी अरटवाव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
9. शाखा प्रबन्धक एस0 बी0 आई0 शाखा गुड़ामालानी।
10. शाखा प्रबन्धक एस0 बी0 आई0 शाखा राणा प्रताप बाजार, गुड़ामालानी।
11. तहसीलदार–गुड़ामालानी।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

महोदयजी,

प्रार्थी का आवेदन पत्र निम्नानुसार हैं :–

10. शाखा प्रबन्धक एस0 बी0 आई0 शाखा राणा प्रताप बाजार,
गुड़ामालानी।

11. तहसीलदार–गुड़ामालानी।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यजी,

का आवेदन पत्र निम्नानुसार हैं :–

1. कि प्रार्थी ने श्रीमान् के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधारों पर प्रार्थी को पूर्ण सफलता मिलने की सम्भावना है तथा प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

2. कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 5 से 8 की संयुक्त खातेदारी का खेत पटवार मण्डल सिन्धासवा हरनियान के ग्राम अरटवाव के खेत खसरा नम्बर 411

रकबा 75–00 बीघा किस्म बारानी दोयम का आया हुआ है। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रैस साथ प्रस्तुत है।

3. कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 8 एक ही कटुम्ब के सदस्य है व हिन्दु विधि से शासित होते है तथा प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 8 मुतवली हुकमाराम के वंशज है, वादग्रस्त आराजी का भू–प्रबन्ध लिछमणा, कोजा, काछबा पि0 हुकमाराम के नाम दर्ज हुऐ तत्पश्चात् लिछमणा फौत होने से उसके स्थान पर प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 6 से 8 के पिता व पति छोगा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। जिनकी वंश वृक्षावली निम्नानुसार है :–

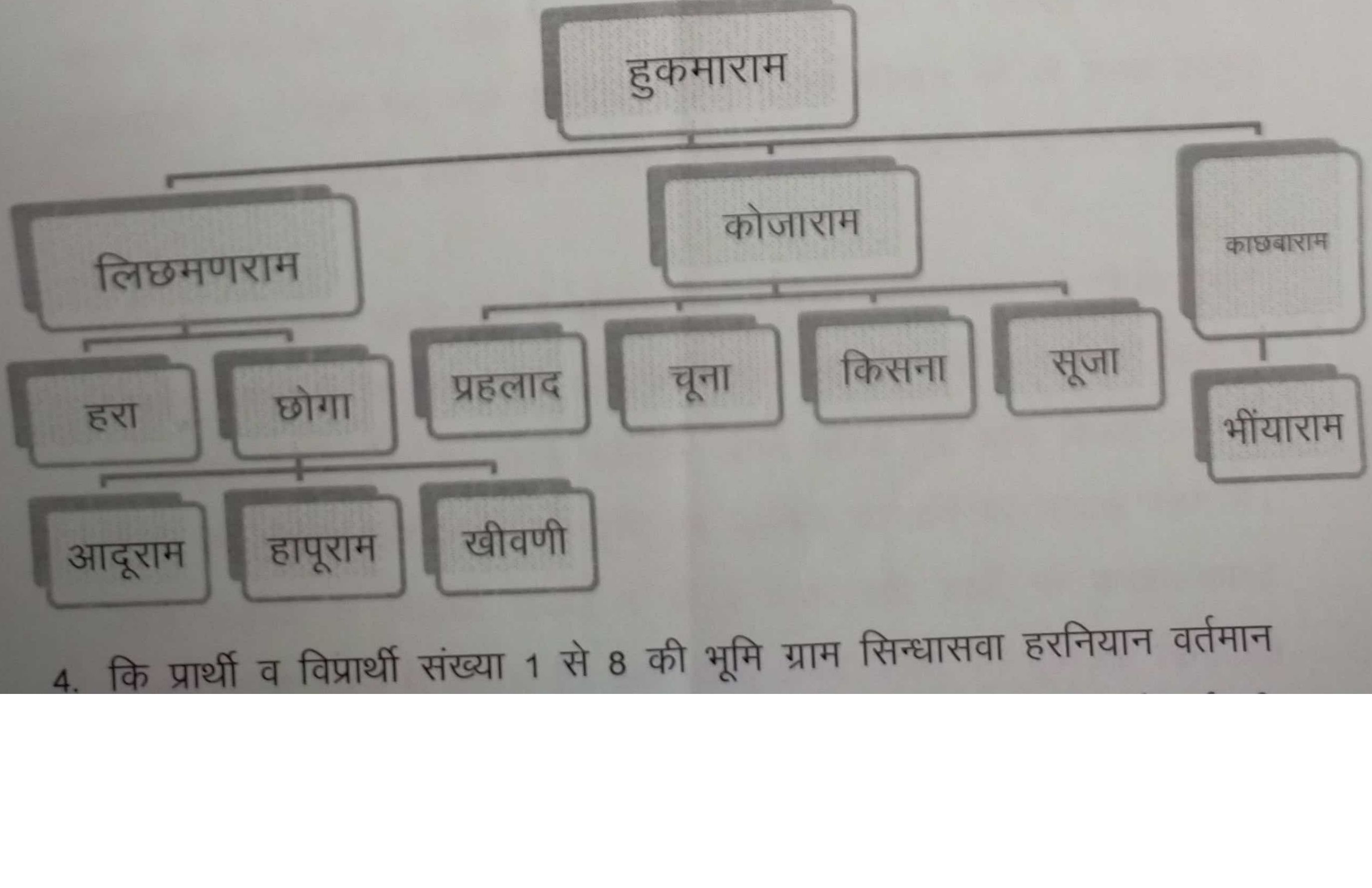

4. कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 8 की भूमि ग्राम सिन्धासवा हरनियान वर्तमान